दिनांक 13.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 17/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बारावफात एवं विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को आगामी त्यौहार बारावफात एवं विश्वकर्मा जयन्ती आदि के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश दिये गये :–

- विगत वर्षों में जिन–जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहाँ पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर विवाद को सुलझाने एवं संवेदनशीलता को दूर करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा जुलूस आदि के नये रास्ते, नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय। असामाजिक/अवांछनीय तत्वों की सूची को अद्यावधिक करते हुए आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जुलूस व अन्य आयोजन/कार्यक्रमो को सूचीबद्ध कर कार्यक्रम के आयोजकों/प्रबन्धकों के साथ गोष्ठी कर ली जाये तथा पीस कमेटी की मीटिंग कराते हुए सभी सामाजिक एवं धर्मगुरुओं आदि से संवाद कर व्यवस्था बनाये रखने हेतु सहयोग लिया जाये।
- समस्त जनपदों में प्रातःकाल गश्त/चेकिंग हेतु पोस्टर पार्टी नियमित रूप से रवाना की जाये तथा प्रातःकालीन गश्त/चेकिंग पार्टी द्वारा सघन रूप से चेकिंग करायी जाये।

- शोभायात्रा/जुलूस के दौरान समुचित वीडियोग्राफी करायी जाये, सीसीटीवी कैमरो को सक्रिय करा लिया जाये तथा आवश्यकतानुसार ड्रोन कैमरो से निगरानी रखी जाये।
- जुलूसों में सुरक्षा के लिये योजनाबद्ध रूप से पुलिस प्रबन्ध किया जाये। जुलूस में बाक्स फार्मेट में चारो तरफ आगे पीछे व दोनो तरफ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाय। जुलूस के आगे–पीछे राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी अवश्य लगायी जाये।
- थानाध्यक्षों/क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर विवाद को हल करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाये।
- त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों आदि पर प्रभावी चेकिंग कराई जाये।
- बैरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाये तथा यातायात व्यवस्था कदापि बाधित न हो इसका ध्यान रखा जाये।
- असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सार्वजनिक भीड़–भाड़ वाले स्थानों, कार्यक्रमों/जुलूसों में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की सादी वर्दी में डियूटी लगायी जाये तथा उन्हें विधिवत ब्रीफ कर दिया जाये
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क कर दिया जाये एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर मोबाइल/फुट पेट्रोलिंग नियमित रूप से करायी जाये।
- विसर्जन शोभायात्राओं/जुलूसों में सुरक्षा के लिये योजनाबद्ध रूप से पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किया जाये।

- संवेदनशील स्थानों/चौराहों का चयन कर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाये तथा क्यू0आर0टी0 टीमों को तैयारी हालत में रखा जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर तत्काल संज्ञान लेकर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी खण्डन किया जाये।

दिनांक 13.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 18/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना बांसी

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.09.2024 को थाना बांसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अच्युतानन्द मणि 2–शिवानन्द मणि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बांसी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बांसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अच्युतानन्द मणि निवासी आजाद नगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
2–शिवानन्द मणि निवासी आजाद नगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

जनपद खीरी/थाना तिकोनिया

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 87 हजार 900 विदेशी मुद्रा**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 पासपोर्ट, 01 पहचान पत्र**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2024 को थाना तिकोनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–मंजीत 2–जसवन्त उर्फ मिठ्ठू 3–राज उर्फ राजू 4–कुलवन्त उर्फ कालू

को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 87 हजार 900 विदेशी मुद्रा, लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 पासपोर्ट, 01 पहचान पत्र, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.2024 को थाना तिकोनिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिकोनिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तिकोनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मंजीत निवासी दीपनगर गुलरिया घाट थाना तिकोनिया जनपद खीरी।

2–जसवन्त उर्फ मिठ्ठू निवासी दीपनगर गुलरिया घाट थाना तिकोनिया जनपद खीरी।

3–राज उर्फ राजू निवासी रननगर थाना तिकोनिया जनपद खीरी।

4–कुलवन्त उर्फ कालू निवासी रननगर थाना तिकोनिया जनपद खीरी।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 87 हजार 900 विदेशी मुद्रा।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 पासपोर्ट, 01 पहचान पत्र।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–04 मोबाइल फोन।

5–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सिगरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.09.2024 को थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मालगोदाम रोड कैण्ट स्टेशन के पास से 02 अभियुक्तों 1– रूपेश 2– आशीष कुमार उर्फ

सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रूपेश निवासी घुरघुरी तालाब मोहान रोड थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ, हालपता भुल्लनपुर चक्रवर्ती नगर पीएसी थाना मडूआडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

2–आशीष कुमार उर्फ सोनू निवासी पाण्डेयपुर नई बस्ती थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

जनपद पीलीभीत/थाना जहानाबाद

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.09.2024 को थाना जहानाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाही पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–शाहजेब अख्तर 2–मो0अमन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.09.2024 को थाना जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहजेब अख्तर निवासी मो0बिलई कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत।

2—मो0अमन निवासी मो0काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 08 हजार 200 रूपये नगद**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 12.09.2024 की रात्रि थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भमोला निर्माणाधीन पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—पीयूष 2—किशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 08 हजार 200 रूपये नगद, चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पीयूष शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पीयूष निवासी सराय हकीम थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।

2–किशन निवासी सराय हकीम गुलरिया थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 08 हजार 200 रूपये नगद।

2–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना जैतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद महोबा/थाना पनवाडी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना पनवाडी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जवाहर को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सफदरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रायबरेली/थाना महराजगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना महराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।